

राजस्थान सरकार  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग

क्रमांक: एफ.4(30)वित्त/राजस्व/2017

जयपुर, दिनांक : 04.02.2018

**आज्ञा**


राजस्थान राज्य बीमा और प्रावधायी निधि सेवा नियम 1959 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 08.12.2017 की अनुशंसा पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में स्थायी रूप से नियुक्त निम्नांकित पर्यवेक्षकों को वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन किये जाने के फलस्वरूप राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि सेवा में सहायक निदेशक के पद पर पे-मेट्रिक्स के लेवल-14 में कार्यभार संभालने की तिथि से स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है :

क्र.सं.	नाम अधिकारी	अजा/अजजा	पद रिक्त होने का दिनांक	विशेष विवरण
1	श्री दुलीचन्द बोहरा	—	01.04.2017	सेवानिवृत्ति तिथि <b>31.01.2018</b>
2	श्री राजमल सुमन	—	01.04.2017	सेवानिवृत्ति तिथि <b>30.06.2017</b>
3	श्री शकूर मोहम्मद कुरैशी	—	01.05.2017	
4	श्री अशोक कुमार सैनी	—	01.06.2017	
5	श्री निहाल सिंह हंसावत	—	01.06.2017	
6	श्री बदाराम कुम्हार	—	01.06.2017	
7	श्री हरिकृष्ण श्रृंगी	—	01.08.2017	
8	श्री सत्यनारायण गुप्ता	—	01.10.2017	
9	श्री रामसिंह चौधरी	—	06.11.2017	
10	श्री अशोक कुमार जोशी	—	01.12.2017	
11	श्री भगवान सिंह ढाका	—	01.01.2018	

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (Inter-se Seniority) यथावत रहेगी। पदोन्नति पर सभी परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
704/02/18  
( वेद प्रकाश गुप्ता )  
संयुक्त शासन सचिव

.....2.....

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्र क्रमांक एफ. 5 (381) डीपीसी/ 2017-18/535 दिनांक 03.01.2018 के क्रम में।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर) वित्त विभाग।
9. संबंधित अधिकारी।
10. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

  
24/02/18

संयुक्त शासन सचिव,  
वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग